13/7/23 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप.
वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण। डिक्री
किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखकर
[illegible] शा० मिसल किया गया। पत्रावली
बाद मुकम्मल होकर दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

न्यायालय उपजिला कलेक्टर, लालसोट जिला दौसा

राजस्व वाद संख्या– 01/2018

दिनांक रजू: 02.01.2018

पीठासीन अधिकारी : बृजेन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

कालूराम पुत्र महादेव जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा (राज0)

(वादी)

बनाम

1. रघुनाथ दत्तक पुत्र हणूता
2. रामजीलाल पि0 भौंरीलाल
3. मूलचंद
4. रूपचंद उर्फ नाथू
5. घनश्याम पि0 बद्री
6. बलूराम
7. गंगादेवी बेवा बद्री

समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम टोरडा तहसील लालसोट जिला जिला दौसा राज0

8. रामजीलाल
9. रामधन पि0 महादेव
10. चिरंजीलाल
11. बनवारी
12. रूकमणी बेवा जगदीश
13. रामप्रसाद पि0 हरिनारायण
14. कैलाश
15. रामचरण पुत्र रामसहाय
16. कौशल्या बेवा रामसहाय

समस्त जाति हरियाणा ब्राहम्ण ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

17. राज0 सरकार द्वारा तहसीलदार लालसोट जिला दौसा

(प्रतिवादीगण)

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)

वादपत्र अधिघोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अ0 धारा 88 व 188 रा0 का0 अधि0

:निर्णय:

दिनांकः– 13/7/23.

उपस्थितः–वादीगण अधिवक्ताः– श्री के0 के0 सैनी एडवोकेट
प्रतिवादी सं.8 ल0 16 अधि0 :– श्री अनूप माठा एडवोकेट
प्रतिवादी सं0 1, ल0 7 व 17 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि – वादी की ओर से वादपत्र बाबत् अधिघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 लगा0 8 एक हि हिन्दू परिवार के सदस्यगण है तथा तथा प्रतिवादी सं0 8 लगा0 11 श्रवण पुत्र ग्यारस्या के वारीसान है तथा वादी तथा प्रतिवादी सं0 8 ल0 16 के पूर्वजो श्रवण व भूरा के आधिपत्य व बतौर स्वामित्व की भूमि आराजी ख0 नं0 2162 रकबा 10 बिस्वा वाकै ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा मे स्थित है। उक्त आराजी भूमि पर विगत 70–80 वर्षो पूर्व से हणूता, भूली व उनके पूर्वजो व वारीसान का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध सरोकार वास्ता नही रहा है। उक्त भूमि पर वादी तथा प्रतिवादी सं0 8 लग0 16 का उनके पूर्वजो के समय से अर्सा लगभग 70–80 वर्षो से अधिक समय से वास्तविक वस्तुतगत नियंत्रण रखते हुये अनवरत स्थायी आधिपत्य चला आ रहा है। तथा वादी तथा प्रतिवादी सं0 8 लगायत 16 द्वारा अपनी खातेदारी की भूमियों के साथ विवादित भूमि का भी विभाजन मौके पर कर रखा है एवं विवादित भूमि वादी के हिस्से मे आई है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड मे राहिन मूर्तहीन के इन्द्राजात रा0 का0 अधि0 के प्रभाव मे आने से पूर्व के है। तथा ग्यारसा जिसका उपनाम रामचन्दर तथाा श्रवण जिसका कजोड भी कहते थे द्वारा उक्त आराजी भूमि को संवत् 1994 मे ही वादी तथा प्रतिवादी सं0 8 लगायत 16 के पूर्वजो को वैध प्रतिफल प्राप्त कर मोल माला कलाम बेचान कर दिया जिसकी लिखावट बही मे है जो 30 वर्षो पूर्व कि लिखावट है जो भा0 सा0 अधि0 की धारा 90 के प्रावधानानुसार बखूबी साबित एवं प्रमाणित है।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

तथा दिनांक 20.12.2017 को वाद कारण उत्पन्न होकर उक्त वादपत्र पेश कर अनुतोष चाहा गया कि वादी विवादित आराजी भूमि का खातेदार व काबिज काश्तकार है तथा उक्त भूमि बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष भी चाहा गया।

वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई तथा दिनांक 30.03.2021 को प्रतिवादी सं0 8 लगायत 16 की तरफ से जवाब दावा मय वकलातनामा पेश किया गया जिसमें वादी के वादपत्र में वर्णित कथनो को स्वीकार करते हुये वादी का वादपत्र मुताबिक अनुतोष वादी के हक में निर्णित करने की स्वीकारोक्ति दी गई तथा दिनांक 25.08.2022 को प्रतिवादी सं0 1 लगायत 7 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई। तत्पश्चात प्रकण वादी की ओर से साक्षीगण के शपथ पत्र पेश कर उन्हे परीक्षित करवाया गया एवं दस्तावेजीय साक्ष्य को प्रदर्शित करवाया गया। तत्पश्चात प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस वादी द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये वादपत्र मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का कथन किया गया जिसकी स्वीकारोक्ति प्रतिवादी सं0 8 लगायत 16 के अधिवक्ता द्वारा दी गई।

वादीपक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में पीडब्लू 1 कालूराम पीडब्लू 2 कैलाश चन्द्र पीडब्यू 3 सत्यनारायण पीडब्लू 4 कैलाश पीडब्लू 5 रामजीलाल के शपथ पत्र पेश किया जाकर परीक्षित करवाया गया एवं दस्तावेजीय साक्ष्य में प्रदर्श 1 खतौनी बन्दोबस्त संवत 2003 से 2022, प्रदर्श 2 जमाबंदी संवत 2072–75, प्रदर्श 3 खसरा गिरदावरी सवंत 2011–2014 प्रदर्श 4 खसरा गिरदावरी सवंत 2018 से 2021, प्रदर्श 5 खसरा गिरदावरी संवत 2014 से 2017 प्रदर्श 6 खसरा गिरदावरी, प्रदर्श 7 खसरा गिरदावरी संवत 2023 से 2026 प्रदर्श 8 बही लिखावट दो प्रति मे जिसे मूल से मिलान किया गया प्रदर्श 9 जमाबंदी सवत 2072–75 खाता सं0 1046 ग्राम डिडवाना प्रदर्श 10 जमाबंदी संवत 2072–75 खाता सं0 1497 ग्राम डिडवाना प्रदर्श 11 जमाबंदी संवत 2072–75 खाता सं0 1002 ग्राम डिडवाना प्रस्तुत किये

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

गये तथा वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये–

1. 2019 DNJ Page 927 (SC)
   Ravinder Kaurgreawal & ors Vs Manjit Kaur & ors
2. 2013(3) Civil Court Cases Page 276 (SC) Joseph John peter Sandy Vs Veronica Thomas
3. 2014 (2) Civil Court Cases Page 461 (A.P. H.C) Garlapati venkateswarlu Vs Divi Applacharyolu
4. 2019(1) RRT Page 7 (S.C.) Ghewarchan & ors Vs M/s mahendra Singh

मैनें बहस उभय पक्षो की सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं मनन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। तथा दौरान बहस वादी द्वारा किये गये तथ्यो व विधि पर गौर किया गया जिससे प्रतीत होता है कि वादी तथा अपने वादपत्र मे वर्णित कथनो में बारम्बार विवादित भूमि पर अपना अपने बुर्जगान के समय से कब्जा होने का कथन किया गया है इस संबंध मे हांलाकि प्रति0 सं0 8 लगा0 17 द्वारा स्वीकारोक्ति प्रदान की गई है एवं प्रकरण में प्रतिवादी सं0 1 लगायत 7 हाजिर नही आये एवं बावजूद तामिल अनुपस्थित रहे है इसलिये आदेश 8 नियम 5 सीपीसी के प्रावधानानुसार वादपत्र में अंकित तथ्यो को सही मानने का प्रभावी कारण पत्रावली में मौजूद है एवं यदि प्रकरण मे प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 को वादी के वादपत्र में वर्णित कथनो पर कोई आपत्ति होती तो वे अवश्य न्यायालय मे हाजिर होकर अपनी उज्रदारी पेश कर सकते थे इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र मे वर्णित तथ्यो जिनको दस्तावेजीय साक्ष्य से भी सिद्ध वादी द्वारा किया गया है। पर अविश्वास करने का कोई भी कारण पत्रावली में मौजूद नही है तथा प्रति0 सं0 8 लगा. 17 की स्वीकारोक्ति को आदेश 12 नियम 6 सीपीसी के तहत माना जाकर आदेश 12 नियम 9 सीपीसी के तहत कार्यवाही किया जाना विधि सम्मत है इसी प्रकार वादी द्वारा अपने आधिपत्य के संबंध मे प्रदर्श 3

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

लगायत 7 खसरा गिरदावरी विभिन्न सम्मत की पेश की गई है जिसके इन्द्राज से भंलि भांति प्रमाणित है कि विवादित भूमि पर वादी का अपने पूर्वजो के समय से अनवरत कब्जाा काश्त है तथा कब्जे मे आने का प्रमाण स्वरूप प्रदर्श 8 पेश किया गया है। जिससे वादी का अपने पूर्वजो के समय से चले आ रहे कब्जे का विधि सम्मत प्रमाण है इसी प्रकार विवादित भूमि वादी की अन्य खातेदारी के मध्य में है जिसके प्रमाणस्वरूप प्रकरण मे जमाबंदी प्रदर्श 9 लगायत 11 पेश की गई जिसके संबंध में नक्शा भी पेश किया गया है जिसमें दर्शित है कि विवादित भूमि वादी की भूमि के बीच मे है जिससे वादी के कब्जे के संबंध में किये गये कथनो पर बल मिलता है तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया जिससे उक्त न्यायिक दृष्टान्तो मे विधिक कब्जे को संरक्षण दिये जाने बाबत व्याख्या की गई है जो प्रकरण के तथ्यो व परिस्थितियो से मेल खाते है इस प्रकार वादी द्वारा वादपत्र मे अंकित तथ्यो को अपनी दस्तावेजीय व मौखिक साक्ष्य से बखूबी साबित किया गया तथा वादी की ओर से प्रस्तुत गवाहान ने भी एक स्वर मे विवादित भूमि पर वादी के अपने बुर्जुगान के समय से चले आ रहे विधि अनवरत आधिपत्य को स्वीकार यिका गया है जिस पर भी अविश्वास करने का कोई कारण पत्रावली मे मौजूद नही है इसलिये मेरी राय मे वादी द्वारा वादपत्र में वर्णित कथनो को अपनी दस्तावेजीय एवं मौखिक साक्ष्य से भंली भांति प्रमाणित एवं सिद्ध किया गया है इसलिये विवादित भूमि के खातेदारी अधिकार वादी को प्रदान किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः वादी कालूराम पुत्र महादेव हरियाणा बाहम्ण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र बाबत् अधिघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर आराजी भूमि ख0 नं0 2162 रकबा 10 बिस्वा वाकै ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा राज0 का वादी को खातेदार एवं काबिज काश्तकार घोषित

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 16 का उक्त भूमि से किसी प्रकार कोई हक हिस्सा अधिकार शेष नही है तथा प्रतिवादी सं0 1 लगायत 16 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी कब्जे काश्त मे किसी भी रूप से दखलन्दाजी नही करे, न करावे तदनुसार राजस्व अभिलेख मे पालना करने हेतु तहसीलदार लालसोट जिला दौसा को आदेशित किया जाता है। तहसीलदार लालसोट को निर्णय व डिक्री की प्रति के साथ पालना हेतु तहरीर जारी हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/7/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

बृजेन्द्र मीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपजिलाधीश लालसोट जिला दौसा मुकाम लालसोट बइजलास बृजेन्द्र मीना आर.ए.एस.

कालूराम पुत्र महादेव जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा (राज0) **बनाम** रघुनाथ दत्तक पुत्र हणूता, रामजीलाल, मूलचंद पि0 भौंरीलाल, रूपचंद उर्फ नाथू, घनश्याम, बलूराम, पि0 बद्री, गंगादेवी बेवा बद्री समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम टोरडा तहसील लालसोट जिला जिला दौसा राज0, रामजीलाल, रामधन, चिरंजीलाल, बनवारीलाल पि0 महादेव, रूकमणी बेवा जगदीश, रामप्रसाद, कैलाश पि0 हरिनारायण, रामचरण पुत्र रामसहाय, कौशल्या बेवा रामसहाय समस्त जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा राज0 सरकार द्वारा तहसीलदार लालसोट जिला दौसा, राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राहूवास जिला दौसा

दावा बाबत् अधिघोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
अ0 धा0 88 व 188 रा0 का0 अधि0

मुकदमा नं0 ....01/18.... सन ....2018....

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री कमलेश कुमार सैनी एड0 व हाजिरी श्री अनूप माठा एडवोकेट एड0 मिनजानिब मुदई रूबरू ....—........ मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिक्री दी जाती है कि आराजी ख0 नं0 2162 रकबा 10 बिस्वा वाकै ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा का वादी को खातेदार एवं काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 16 का उक्त भूमि से किसी प्रकार कोई हक हिस्सा अधिकार शेष नही है तथा प्रतिवादी सं0 1 लगायत 16 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी कब्जे काश्त मे किसी भी रूप से दखलन्दाजी नही करे, न करावे तदनुसार राजस्व अभिलेख मे पालना करने हेतु तहसीलदार लालसोट जिला दौसा को आदेशित किया जाता है। निज ......—...... मुबलिग......—......बाबत ......—...... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ......—......फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ......—...... का अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ..13.. माह..7.. सन 2023 को जारी की गई।

मुहर [stamp: उपखण्ड अधिकारी ... जिला दौसा (राज.)]

दस्तखत ....
उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)

ओहदा ....

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प यह सबूत मेहताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	Nil	Nil	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी मेहताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	Nil	Nil

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)